

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज करेड़ा (भीलवाड़ा) के आदेश नं. 16/08/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

15/1/24

पत्रावली वकील प्राणी एवं स्वयं प्राणी के प्रांप्स पर शिगर से नलब की गई प्रकरण में वकील प्राणी ने प्रांप्स पेश कर निवेदन किया कि प्राणी व विपक्षीय के भव्य आपसी राजनामा ही जाने से वकील प्राणी व स्वयं प्राणी उमर प्रांप्स में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया, प्रकरण में पूर्व में पेश शुदा जवाब आज डिनार को शांफा. किया गया प्रकरण का अवलोकन किया प्रांप्स पर प्राणी व इनके अधिवक्ता को कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्राणी का प्रांप्स इसी तरह पर शकरीय किया जा रहा है। प्रकरण में पूर्व में डिनार 16/08/2022 को जारी एक पक्षीय अल्ल्याद निवेचना स्वतः निरस्त माना जावे प्रकरण फैसल शुमार लेकर डेज नम्बर से करे।

Subm  
Mukesh  
K. Babul Jain

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

